अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय बिरौल, जिला–दरभंगा, बिहार

jamalpur P.S.-96/2019

29.08.19 G.R.- 592/2019

आवेदक काराधीन अभियुक्त **1. अजय कुमार उर्फ अजय यादव 2. लीलाधर कुमार** की ओर से वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन साथ उभय पक्ष हस्ताक्षरित संधि आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी जा चुकी है। आवेदन प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है । इनकी ओर से कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकों को ग्रामीण राजनीति, गुटबंदी तथा संदेह के आधार पर इस झूठा मुकदमा में फॅसाया गया है। प्रस्तुत कांड में घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। धारा–379, 411 भा0द0वि0 के अंतर्गत कोई मुकदमा नहीं बनता है। उभयपक्षों के बीच संधि हो गई है। आवेदकगण दिनांक 26.08.19 से काराधीन है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने जमानत के बिंदु पर विरोध प्रकट किया है।

उभयपक्षों को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कांड में सूचक के लिखित आवेदन पर धारा– 341,323,379,411/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसमें धारा–379, 411 भा0द0वि0 अजमानतीय है। आवेदकों पर सूचक का मोबाईल छीनने तथा विरोध करने पर सूचक और उसके दोस्तों के साथ मारपीट करने का अभियोग है। जप्ती–सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। सूचक की ओर से संधि आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें सूचक का पहचान–पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सूचक का कोई अभिभावक न्यायालय में सूचक के साथ उपस्थित नहीं है क्योंकि सूचक नाबालिग है। घटना के अन्य पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर संधि के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक–अभियुक्तों **1. अजय कुमार उर्फ अजय यादव 2. लीलाधर कुमार** को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक–अभियुक्तों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
बिरौल, दरभंग